छत्तीसगढ़ प्रदेश के बाहर स्थित एयरपोर्ट में एल.ई.डी. स्क्रीन–वॉल के माध्यम से प्रचार–प्रसार हेतु दर निर्धारण एवं योग्य फर्मों का इम्पैनलमेंट के लिए नियम एवं शर्तें

1. छत्तीसगढ़ संवाद राज्य शासन द्वारा फर्म एवं सोसायटी अधिनियम 1973 के अंतर्गत गठित एक पंजीकृत सोसायटी है। छत्तीसगढ़ संवाद द्वारा शासन के विभिन्न विभागों, निगम–मण्डलों एवं अर्द्धशासकीय संस्थाओं की जनकल्याणकारी नीतियों, कार्यक्रमों, योजनाओं एवं अन्य जानकारियों, उपलब्धियों के प्रचार–प्रसार विभिन्न माध्यमों से किया जाता है।

2. **निविदाकर्ता फर्म को तकनीकी बिड में निम्नलिखित दस्तावेज ऑनलाईन जमा किया जाना होगाः–**

2.1 पेन कार्ड की प्रति।

2.2 छत्तीसगढ़ राज्य के जीएसटी विभाग में निविदाकर्ता फर्म का जीएसटी पंजीयन की प्रति। जीएसटी पंजीयन की ARN मान्य होगा। परंतु छत्तीसगढ़ राज्य के जीएसटी पंजीयन के प्रति उपलब्ध कराने के पश्चात् ही संबंधित फर्म से अनुबंध निष्पादन किया जाएगा।

2.3 माह मार्च 2024 का GSTR3B रिटर्न की प्रति जमा करना होगा। छत्तीसगढ़ राज्य के जीएसटी पंजीयन नवीन होने की स्थिति में अपने प्रचलित जीएसटी नंबर का माह मार्च – 2024 की जीएसटी रिटर्न की प्रति अपलोड करना होगा।

2.4 Assessment Year 2021–22, 2022–23 एवं 2023–24 का आयकर रिटर्न की प्रति।

2.5 वित्तीय वर्ष 2021–22, 2022–23 एवं 2023–24 तीन वर्षों का औसतन न्यूनतम टर्नओव्हर राशि रु. 25 लाख का चार्टड एकाउंटेंट से सत्यापित एवं यू.डी.आई.एन. अंकित टर्नओव्हर प्रमाण–पत्र ऑनलाईन अपलोड करना अनिवार्य है।

2.6 निविदा प्रपत्र शुल्क रू. 1,180/– जीएसटी सहित (वापसी योग्य नहीं) एवं अमानत राशि रू. 50,000/– (बिना ब्याज के वापसी योग्य) छत्तीसगढ़ संवाद के बैक खाता में ऑनलाईन/ आरटीजीएस/एनईएफटी के माध्यम से जमा करना होगा एवं पावती/साक्ष्य की प्रति टेक्निकल बिड के साथ जमा करना होगा।

छत्तीसगढ़ संवाद के बैंक खाता का विवरण निम्नानुसार है :–

Account Name	**:**	**Chhattisgarh Samvad**
Bank Name	**:**	**Axis Bank Ltd.**
Branch Name	**:**	**Pandri, Raipur (C.G.)**
Saving Account No.	**:**	**139010100021669**
IFSC Code No.	**:**	**UTIB0000139**

2.7 निविदा में भाग लेने वाले फर्मों के पास शासकीय/अर्द्धशासकीय/ शासकीय संस्थान हेतु एल.ई.डी. स्क्रीन–वॉल में प्रचार–प्रसार संबंधी कार्य का कम से कम एक वर्ष का अनुभव होना चाहिए। विज्ञापन दाता कलाईन्ट/संस्थान से जारी कार्यादेश अथवा अनुभव प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति ऑनलाईन अपलोड करना होगा।

2.8 शासकीय संस्थान एयरपोर्ट से विज्ञापन प्रदर्शन हेतु एजेन्सियों के साथ अनुबंधित अनुबंध की प्रति/विज्ञापन/प्रदर्शन के अधिकार पत्र ऑनलाईन अपलोड करना अनिवार्य होगा।

2.9 एल.ई.डी स्क्रीन–वॉल में विज्ञापन प्रसारण हेतु स्थानीय प्रशासन (Concerned Authority) से प्राप्त अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति।

2.10 **फर्म के पास स्वयं के स्वामित्व की एल. ई.डी. स्क्रीन–वॉल का इन्वाईस संलग्न करना होगा। किसी प्रकार का ज्वाइंटवेंचर/कंसोरटीयम मान्य नहीं होगा।**

3 प्रदर्शन कार्य संपूर्ण होने पर देयक के साथ–साथ उक्त कार्य हेतु प्रदर्शित विज्ञापन व क्रियेटिव का लॉग फाईल अनिवार्य रुप से प्रस्तुत करना पड़ेगा। ताकि प्रदर्शित विज्ञापन व क्रियेटिव का समय आदि का परीक्षण किया जा सके। संबंधित शासकीय संस्था में स्थापित स्वयं के स्वामित्व के एल.ई.डी. स्क्रीन में विज्ञापन प्रचार–प्रसार की अनुमति पत्र भी ऑनलाईन अपलोड करना होगा। इम्पैनल्ड पश्चात् इम्पैनल्ड फर्म को किसी अन्य फर्म को प्रचार–प्रसार हेतु सबलेट करने का अधिकार नही होगा।

4 एल.ई.डी. स्क्रीन–वॉल में विज्ञापन प्रसारण हेतु शासकीय संस्थान एयरपोर्ट से वैध अनुमति फर्म को प्राप्त करनी होगी। अनुमति प्राप्त करने का दायित्व संबंधित एल.ई.डी. स्क्रीन–वॉल वाले फर्म का रहेगा।

5 छत्तीसगढ़ संवाद की वेबसाइट http://samvad.cg.nic.in में निविदा के टेक्नीकल बिड में वांछित दस्तावेज एवं फाईनेन्शियल बिड ऑनलाईन जमा किया जाना है।

6 निविदाकार को छत्तीसगढ़ शासन एवं केन्द्र शासन द्वारा प्रचलित एवं समय समय पर जारी समस्त नियमों, निर्देशों, आदेशों और अधिनियमों का पूर्ण पालन करना होगा।

7 तकनीकी बिड में योग्य पाए गए फर्मों का फाईनेन्शियल बिड खोला जाएगा एवं प्राप्त न्यूनतम दर पर इम्पैनलमेंट हेतु तकनीकी बिड में योग्य पाए गए सहमत फर्मों को 02 वर्ष के लिए इम्पैनल्ड किया जाएगा। निविदा समिति को दरों में निगोसियेशन का पूर्ण अधिकार होगा। निविदा समिति द्वारा निविदा दर/D.A.V.P. में उपलब्ध दर/ अन्य शासकीय संस्था में प्रचलित दर /अन्य दर अनुसार निगोसियेशन कर दर निर्धारण किया जायेगा। कार्य संतोषजनक होने पर एल–1 दर पर 02 वर्ष समाप्ति के पश्चात पुनः अधिकतम एक वर्ष अवधि में वृद्धि करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी छत्तीसगढ़ संवाद के पास सुरक्षित रहेगा।

8 **वित्तीय प्रस्ताव में उल्लेखित अवधि के अलावा अन्य अवधि हेतु कार्य की आवश्यकता होने/समय कम या ज्यादा होने पर दोनों स्थिति में न्यूनतम अनुपातिक दर पर कार्य कराने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी छत्तीसगढ़ संवाद के पास सुरक्षित रहेगा।**

9 एल.ई.डी. स्क्रीन–वॉल के माध्यम से प्रचार–प्रसार हेतु धन–जन–थर्ड पार्टी के सुरक्षा का दायित्व संबंधित एल.ई.डी. एजेंसी/फर्म का होगा। अतः इस संबंध में संबंधित एल.ई.डी. फर्म को पर्याप्त सुरक्षा एवं व्यवस्था सुनिश्चित करना होगा। छत्तीसगढ़ संवाद का इस संबंध में किसी भी प्रकार का उत्तरदायित्व नहीं होगा।

10 इम्पैनलमेंट का अर्थ कार्य आबंटन की बाध्यता नहीं होगी। इम्पैनल्ड फर्मों को समय–समय पर संबंधित विभागों से प्राप्त कार्यादेश अनुसार कार्य आबंटन का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी छत्तीसगढ़ संवाद के पास सुरक्षित रहेगा।

11 छत्तीसगढ़ संवाद द्वारा कार्यादेश जारी करने की स्थिति में एल.ई.डी. स्क्रीन वॉल स्थापित न होने/प्रचार प्रसार नही करने की स्थिति में संबंधित फर्म को आगामी तीन माह के लिए एल.ई.डी. में डिस्प्ले संबंधित कार्य आबंटन नही किया जाएगा एवं उक्त कार्यावधि के पश्चात् दोबारा उक्त स्थिति निर्मित होने पर संबंधित फर्म को 1 वर्ष के लिए काली सूची में डाला जाएगा।

12 मीडिया की साईज कम या ज्यादा होने पर अनुपातिक रुप से गणना किया जाएगा।

13 निविदा की किसी भी शर्तों, नियम कंडिका को शिथिल करने अथवा संपूर्ण निविदा को किसी भी समय निरस्त करने का संपूर्ण अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ संवाद के पास सुरक्षित रहेगा।

14 **निर्धारित प्रारुप में 50 रुपये का स्टाम्प पेपर में नोटरी से सत्यापित यह प्रमाण–पत्र दिया जाना होगा कि संबंधित संस्था/व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत प्रमाण–पत्र एवं अन्य अभिलेख पूर्णतः सही है, भविष्य में कोई प्रमाण–पत्र गलत पाए जाने पर उसे छत्तीसगढ़ संवाद की सूचीबद्धता से अगले दो वर्षों तक के लिए अपात्र घोषित कर दिया जायेगा। इस प्रमाण–पत्र में यह भी स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया जाना होगा कि संस्था किसी भी शासकीय, अर्द्धशासकीय संस्थाओं में ब्लेक लिस्टेड नहीं हैं। शपथ–पत्र की मूल प्रति (हार्ड कापी) एवं एल .ई .डी .स्क्रीन लगी हुई उसकी चालू हालत में विडियो स्पष्ट दिखता हुआ CD/DVD/Pendrive में निविदा जमा करने के नियत तिथि एवं समय के पूर्व अपरान्ह् 3:00 बजे तक छत्तीसगढ़ संवाद, सेक्टर–19 नार्थ ब्लॉक, नवा रायपुर अटल नगर भवन के द्वितीय तल, कक्ष क्रमांक SF-10 में जमा किया जा सकता है।**

15 निविदा स्वीकृत होने पर निविदाकार फर्म को राशि रू. 100/– के स्टाम्प पर छत्तीसगढ़ संवाद नवा रायपुर के साथ निर्धारित प्रारूप में अनुबंध निष्पादित कर नोटरी से सत्यापित कराना होगा।

16 इम्पैनल्ड फर्मों के त्रुटि, लापरवाही या अन्य किसी कारण से छत्तीसगढ़ संवाद/जनसंपर्क संचालनालय/शासन के किसी प्रकार की क्षति अथवा प्रतिष्ठा धूमिल होने पर संबंधित फर्म को एक वर्ष के लिए ब्लेक लिस्टेड किया जा सकेगा एवं पेनाल्टी के रूप में निश्चित राशि देयक का अधिकतम 25 प्रतिशत तक कटौती का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ संवाद को होगा। पेनाल्टी राशि का समायोजन फर्म द्वारा जमा अमानत राशि से किया जा सकेगा।

17 एल.ई.डी. में तकनीकी खराबी होने के स्थिति में संबंधित एजेंसी को तत्काल सुधार करना होगा। यादि एल.ई.डी. में संवाद द्वारा जारी विज्ञापन का संपूर्ण विज्ञापन नही दिखाई देते है तो (अर्थात् Black pitch आदि) संवाद द्वारा उक्त एल.ई.डी.का भुगतान निर्धारित दिवस या समय के लिए नहीं किया जाएगा।

18 छत्तीसगढ़ संवाद द्वारा कार्यादेश प्रदाय करने पर आपका विज्ञापन जिस दिन से प्रदर्शित होगा उसी दिन से आपके देयक का भुगतान किया जाएगा। जिस दिनांक को आप विज्ञापन प्रदर्शित करेगें उस दिनांक का फोटो वाट्सप ग्रुप या ईमेल आईडी के माध्यम से जानकारी प्रदाय करनी होगी।

19 माह को 30 दिवस का ही माना जाएगा।

20 छत्तीसगढ़ संवाद द्वारा उपलब्ध कराये गये निगरानी ऐप में एल.ई.डी स्क्रीन वॉल में प्रदर्शित हो रहे विडियो का फोटो अपलोड करना होगा। फोटो 02 बार (प्रारंभ एवं अंतिम दिवस) उपलब्ध कराना होगा एवं तदानुसार देयक स्वीकीर्य होगा।

21 समय–समय पर कार्यालयीन निर्देश पर सीधा प्रसारण किया जाना होगा।

22 पैनल में सूचीबद्ध फर्म द्वारा L1 दर में कार्य करने में किसी भी प्रकार की असमर्थता यथा समय सीमा, तकनीकी समस्या या अन्य कोई कारण जाहिर करता है एवं कार्य नहीं करने की स्थिति में फर्म को आगामी तीन माह तक कोई कार्य/कार्यादेश नहीं दिया जायेगा |

23 **<u>आर्बिट्रेशन (मध्यस्थता) :</u>** किसी प्रकार के विवाद उत्पन्न होने एवं 30 दिवस के अंदर समाधान न होने की स्थिति में निर्णय हेतु मामला एकल आर्बिट्रेटर– प्रमुख सचिव/सचिव, जनसंपर्क विभाग को अग्रेषित किया जायेगा एवं उनका निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा। आर्बिट्रेशन की कार्यवाही आर्बिट्रेशन एवं काउंसिलेशन एक्ट, 1996 के अधीन संपादित होगा।

24 निविदा प्रस्तुत करने का आशय यह होगा कि निविदाकार द्वारा उपरोक्त बिन्दुओं का अवलोकन किया गया है एवं उक्त सभी बिन्दु निविदाकार फर्म को मान्य है।

25 किसी प्रकार की विवाद की स्थिति में न्यायालयीन क्षेत्र रायपुर होगा।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
छत्तीसगढ़ संवाद
नवा रायपुर अटल नगर

(रू. 50/– के स्टाम्प पेपर में नोटरी से सत्यापित शपथ–पत्र निविदा के टेक्निकल बिड में प्रस्तुत करना होगा)

शपथ–पत्र

मैं—————————संस्था प्रमुख निवासी ———————————छत्तीसगढ़ संवाद द्वारा जारी निविदा प्रारूप, निर्धारित नियम एवं शर्त का पूर्ण रूप से अध्ययन करने के पश्चात ही उपरोक्त आवेदन पत्र प्रस्तुत कर रहा/रही हूं। हमारे फर्म द्वारा वैधानिक देय राशियों का शासन की संबंधित खातों में जमा किया गया है, कोई देय राशि बकाया नहीं है। उपरोक्त आवेदन में अंकित कोई भी जानकारी अपर्याप्त/अधूरी या फिर गलत पाई जाती है तो इसे अस्वीकार/निरस्त करने का तथा हमारी संस्था को ब्लैकलिस्ट करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी छत्तीसगढ़ संवाद को होगा। इस बारे में मेरे या संस्था के किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी तरह की अपील या आपत्ति किसी क्षेत्र में नहीं की जायेगी। मुझे छग संवाद की उपरोक्त से संबंधित सभी नियम एवं शर्ते स्वीकार है।

यह कि हमारी संस्था ———————————— किसी शासकीय और अर्द्ध शासकीय विभाग/ निगम/मंडल इत्यादि द्वारा ब्लैक लिस्टेट (काली सूची) नहीं की गई है।

स्थान ——————

दिनांक —————

हस्ताक्षर

(पूरा नाम)

संस्था का नाम व मोहर

छत्तीसगढ़ संवाद

(जनसम्पर्क विभाग की सहयोगी संस्था)

नार्थ ब्लॉक, सेक्टर–19, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर, छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ प्रदेश के बाहर स्थित एयरपोर्ट में एल.ई.डी. स्क्रीन–वॉल के माध्यम से प्रचार–प्रसार हेतु वित्तीय प्रस्ताव

क्र.	विवरण	प्रसारण अवधि	स्थान	दर(जीएसटी अतिरिक्त)						
				साईज						
				24 से 74 वर्ग फीट	75 से 120 वर्ग फीट	121 से 160 वर्ग फीट	161 से 200 वर्ग फीट	201 से 300 वर्ग फीट	301 से 400 वर्ग फीट	401 वर्ग फीट से ज्यादा
1.	**Fixed Outdoor LED Display Board (Spot Telecast)** **Spot Telecast**- Minimum 120 spot per day and Each spot should be telecast 30 Second **Pixel pitch**- P6/ Superior Quality **Density-**2500 dots **Resolution-**L-285, H-144 **Configuration**-2R, 1G, 1B full colour display	प्रतिमाह का दर	मेट्रो सिटी दिल्ली							
			मेट्रो सिटी मुम्बई							
			मेट्रो सिटी बैंगलोर							
			मेट्रो सिटी अहमदाबाद							
			मेट्रो सिटी चेन्नई							
			मेट्रो सिटी कोलकाता							
			मेट्रो सिटी हावड़ा							
2	**Fixed Outdoor LED Display Board (Spot Telecast)** **Spot Telecast**- Minimum 120 spot per day and Each spot should be telecast 30 Second **Pixel pitch**- P6/ Superior Quality **Density-**2500 dots **Resolution-**L-285, H-144 **Configuration**-2R, 1G, 1B full colour display	प्रतिमाह का दर	**छ.ग. प्रदेश के अतिरिक्त अन्य सभी प्रदेशों के राजधानी में स्थित एयरपोर्ट जनसंख्या(0 –20 लाख)**							
			छ.ग. प्रदेश के अतिरिक्त अन्य सभी प्रदेशों के राजधानी में स्थित एयरपोर्ट जनसंख्या(20 –50 लाख)							
			छ.ग. प्रदेश के अतिरिक्त अन्य सभी प्रदेशों के राजधानी में स्थित एयरपोर्ट जनसंख्या(50 –1 करोड़)							
			छ.ग. प्रदेश के अतिरिक्त अन्य सभी प्रदेशों के राजधानी में स्थित एयरपोर्ट जनसंख्या(1 –5 करोड़)							

			छ.ग. प्रदेश के अतिरिक्त अन्य सभी प्रदेशों के राजधानी में स्थित एयरपोर्ट जनसंख्या(5 करोड़ से अधिक)							
3	**Fixed Outdoor LED Display Board (Spot Telecast)** **Spot Telecast**- Minimum 120 spot per day and Each spot should be telecast 30 Second **Pixel pitch**- P6/ Superior Quality **Density-**2500 dots **Resolution-**L-285, H-144 **Configuration**-2R, 1G, 1B full colour display	प्रतिमाह का दर	छ.ग. प्रदेश के अतिरिक्त अन्य प्रमुख शहरों में स्थित एयरपोर्ट(अन्य सभी प्रदेशों के राजधानी को छोड़कर) जनसंख्या(0–20 लाख)							
			छ.ग. प्रदेश के अतिरिक्त अन्य प्रमुख शहरों में स्थित एयरपोर्ट(अन्य सभी प्रदेशों के राजधानी को छोड़कर) जनसंख्या(20–50 लाख)							
			छ.ग. प्रदेश के अतिरिक्त अन्य प्रमुख शहरों में स्थित एयरपोर्ट(अन्य सभी प्रदेशों के राजधानी को छोड़कर) जनसंख्या(50–1 करोड़)							
			छ.ग. प्रदेश के अतिरिक्त अन्य प्रमुख शहरों में स्थित एयरपोर्ट(अन्य सभी प्रदेशों के राजधानी को छोड़कर) जनसंख्या(1–5 करोड़)							
			छ.ग. प्रदेश के अतिरिक्त अन्य प्रमुख शहरों में स्थित एयरपोर्ट(अन्य सभी प्रदेशों के राजधानी को छोड़कर) जनसंख्या(5 करोड़ से अधिक)							
4	**Fixed Outdoor LED Display Board (ExclusiveTelecast)** Exculsive Telecast of only one department will telecast for the		मेट्रो सिटी दिल्ली							
			मेट्रो सिटी मुम्बई							
			मेट्रो सिटी बैंगलोर							
			मेट्रो सिटी अहमदाबाद							

	whole day. Minimum-15 Hours from 8:00 AM to 11:30 PM per day **Pixel pitch-** P6/Superior Quality **Density-**2500 dots Resolution-L-285, H- 144 **Configuration-**2R, 1G, 1B full colour display	प्रतिमाह का दर	मेट्रो सिटी चेन्नई							
			मेट्रो सिटी कोलकाता							
			मेट्रो सिटी हावड़ा							
5	**Fixed Outdoor LED Display Board (ExclusiveTelecast)** Exculsive Telecast of only one department will telecast for the whole day. Minimum-15 Hours from 8:00 AM to 11:30 PM per day **Pixel pitch-** P6/Superior Quality **Density-**2500 dots Resolution-L-285, H- 144 **Configuration-**2R, 1G, 1B full colour display	प्रतिमाह का दर	छ.ग. प्रदेश के अतिरिक्त अन्य सभी प्रदेशों के राजधानी में स्थित एयरपोर्ट जनसंख्या(0 –20 लाख)							
			छ.ग. प्रदेश के अतिरिक्त अन्य सभी प्रदेशों के राजधानी में स्थित एयरपोर्ट जनसंख्या(20 –50 लाख)							
			छ.ग. प्रदेश के अतिरिक्त अन्य सभी प्रदेशों के राजधानी में स्थित एयरपोर्ट जनसंख्या(50 –1 करोड़)							
			छ.ग. प्रदेश के अतिरिक्त अन्य सभी प्रदेशों के राजधानी में स्थित एयरपोर्ट जनसंख्या(1 –5 करोड़)							
			छ.ग. प्रदेश के अतिरिक्त अन्य सभी प्रदेशों के राजधानी में स्थित एयरपोर्ट जनसंख्या(5 करोड़ से अधिक)							
6	**Fixed Outdoor LED Display Board (ExclusiveTelecast)** Exculsive Telecast of only one department will telecast for the whole day. Minimum-15 Hours from 8:00 AM to 11:30 PM per day **Pixel pitch-** P6/Superior Quality **Density-**2500 dots Resolution-L-285, H- 144	प्रतिमाह का दर	छ.ग. प्रदेश के अतिरिक्त अन्य प्रमुख शहरों में स्थित एयरपोर्ट(अन्य सभी प्रदेशों के राजधानी को छोड़कर) जनसंख्या(0–20 लाख)							
			छ.ग. प्रदेश के अतिरिक्त अन्य प्रमुख शहरों में स्थित एयरपोर्ट(अन्य सभी प्रदेशों के राजधानी को छोड़कर) जनसंख्या(20–50							

	Configuration-2R, 1G, 1B full colour display		लाख)							
			छ.ग. प्रदेश के अतिरिक्त अन्य प्रमुख शहरों में स्थित एयरपोर्ट(अन्य सभी प्रदेशों के राजधानी को छोड़कर) जनसंख्या(50–1 करोड़)							
			छ.ग. प्रदेश के अतिरिक्त अन्य प्रमुख शहरों में स्थित एयरपोर्ट(अन्य सभी प्रदेशों के राजधानी को छोड़कर) जनसंख्या(1–5 करोड़)							
			छ.ग. प्रदेश के अतिरिक्त अन्य प्रमुख शहरों में स्थित एयरपोर्ट(अन्य सभी प्रदेशों के राजधानी को छोड़कर) जनसंख्या(5 करोड़ से अधिक)							
	L.E.D. STANDEE – Size- 2.5’x5’ feet with stand **(Standee can be moved from one place to another as per requirement.)** (If the size is more or less, it will be calculated proportionately)	प्रतिमाह का दर	मेट्रो सिटी दिल्ली	दर प्रति वर्ग फीट						
			मेट्रो सिटी मुम्बई							
			मेट्रो सिटी बैंगलोर							
			मेट्रो सिटी अहमदाबाद							
			मेट्रो सिटी चेन्नई							
			मेट्रो सिटी कोलकाता							
			मेट्रो सिटी हावड़ा							
7	**L.E.D. STANDEE –** Size- 2.5’x5’ feet with stand **(Standee can be moved from one place to another as per requirement.)** (If the size is more or less, it will be calculated proportionately)	प्रतिमाह का दर	छ.ग. प्रदेश के अतिरिक्त अन्य सभी प्रदेशों के राजधानी में स्थित एयरपोर्ट जनसंख्या(0 –20 लाख)	दर प्रति वर्ग फीट						
			छ.ग. प्रदेश के अतिरिक्त अन्य सभी प्रदेशों के राजधानी में स्थित एयरपोर्ट जनसंख्या(20 –50 लाख)							
			छ.ग. प्रदेश के अतिरिक्त अन्य सभी प्रदेशों के राजधानी में स्थित एयरपोर्ट जनसंख्या(50 –1 करोड़)							
			छ.ग. प्रदेश के अतिरिक्त अन्य							

			सभी प्रदेशों के राजधानी में स्थित एयरपोर्ट जनसंख्या(1 –5 करोड़)	
			छ.ग. प्रदेश के अतिरिक्त अन्य सभी प्रदेशों के राजधानी में स्थित एयरपोर्ट जनसंख्या(5 करोड़ से अधिक)	
8	**L.E.D. STANDEE –** Size- 2.5'x5' feet with stand **(Standee can be moved from one place to another as per requirement.)** (**If the size is more or less, it will be calculated proportionately**)	प्रतिमाह का दर	छ.ग. प्रदेश के अतिरिक्त अन्य प्रमुख शहरों में स्थित एयरपोर्ट(अन्य सभी प्रदेशों के राजधानी को छोड़कर) जनसंख्या(0–20 लाख)	दर प्रति वर्ग फीट
			छ.ग. प्रदेश के अतिरिक्त अन्य प्रमुख शहरों में स्थित एयरपोर्ट(अन्य सभी प्रदेशों के राजधानी को छोड़कर) जनसंख्या(20–50 लाख)	
			छ.ग. प्रदेश के अतिरिक्त अन्य प्रमुख शहरों में स्थित एयरपोर्ट(अन्य सभी प्रदेशों के राजधानी को छोड़कर) जनसंख्या(50–1 करोड़)	
			छ.ग. प्रदेश के अतिरिक्त अन्य प्रमुख शहरों में स्थित एयरपोर्ट(अन्य सभी प्रदेशों के राजधानी को छोड़कर) जनसंख्या(1–5 करोड़)	
			छ.ग. प्रदेश के अतिरिक्त अन्य प्रमुख शहरों में स्थित एयरपोर्ट(अन्य सभी प्रदेशों के राजधानी को छोड़कर) जनसंख्या(5 करोड़ से अधिक)	

उपरोक्त दरों के अलावा जीएसटी के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार का चार्ज नहीं किया जाएगा।

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर

नाम/पता संपर्क नंबर एवं
सील–मुद्रा सहित